महत्वपूर्ण एवं खास

बालिका लापता, रिपोर्ट दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना तमनार में 17 वर्षीय बालिका के लापता होने की रिपोर्ट उसके मां द्वारा दर्ज कराया गया है । बालिका की मां ने बताया कि बालिका तमनार में किराया मकान में रहकर पढाई कर रही थी । दिनांक 12.09.19 को एक युवक फोन आया जो अपने आप को मकान मालिक बताकर बोला कि आपकी लड़की पढाई ठीक से नहीं कर रही है, उसे समझा दिया हूं । बालिका की मां ने बालिका को उसके मोबाईल पर कॉल किया तो मोबाईल बंद बताया तब उसके किराया मकान आकर देखी तो बालिका किराया मकान पर नहीं मिली । उसने मकान मालिक से बात की तो मकान मालिक ने फोन नहीं करना बताया । बालिका की मां को शंका है कि फोन करने वाले अज्ञात युवक द्वारा बालिका को बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 175/19 धारा 363 ताहि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

मोबाईल खरीदने आया युवक काऊंटर से मोबाईल चोरी कर भागा

न्याय साक्षी/रायगढ़। लैलूंगा वार्ड नं0 14 में रहने वाले नितिन अग्रवाल की लैलूंगा मुख्य मार्ग पर साई मोबाईल दुकान है । दिनांक 13/09/19 को नितिन अग्रवाल अपने दुकान में शाम करीब 07/00 बजे दुकान पर आये एक ग्राहक को मोबाईल सैमसंग कंपनी का ए 20 माडल दिखाया और चंद मिनट के लिये दुकान के ऊपर जाकर नीचे वापस आया तब तक ग्राहक चला गया था, नितिन अग्रवाल ने देखा कि कांउटर में रखा सैमसंग मोबाईल भी नहीं था , मोबाईल की कीमत 10,850 रूपये का है जिसे ग्राहक बनकर आया अज्ञात युवक चोरी कर ले गया था ।

वृद्ध पर टंगिया व डंडे से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी जेल दाखिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना घरघोड़ा अन्तर्गत ग्राम कोटरीमाल निवासी आनंद सिंह पिता राम सिंह उम्र 55 वर्ष के साथ गांव के मोहन राठिया एवं बुंद राम राठिया द्वारा जमीन विवाद को लेकर दिनांक 08.09.19 के दोपहर आनंद सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से टंगिया एवं बांस का बडा डण्डा से मारपीट किये थे ।

अबोध बालक का अपहरण कराने आये दोनों युवकों को खरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया अन्तर्गत ग्राम रतन महका में रहने वाले किराना दुकान का व्यवसायी प्रतिदिन की तरह अपनी दुकान पर था । उसकी पत्नि घर पर खाना बना रही थी और उनका छोटा बेटा (उम्र 3 साल 6 माह) घर सामने खेल रहा था, शाम करीब 06.30 बजे से व्यवसायी का छोटा बेटा नहीं दिखा तो बच्चे की मां आसपास पड़ोसियों के घर में जाकर पूछने लगी बच्चे का पता नहीं चला , थोडी देर बाद गांव का गजानंद राठौर ने बच्चे के पिता को फोन करके बताया कि तुम्हारे बच्चे को मोटर सायकल सवार क्रमांक सीसी-11 ए.ए 5038 में सवार दो अज्ञात ब्यक्ति बैठाकर ले जा रहे थे, जिसे दीनदयाल राठौर निवासी मकरी के पान दुकान पास पकड़े है । खबर पाकर बच्चे का पिता तुरंत मकरी गया, लोगों ने दो युवकों को बच्चे के साथ पकड़कर रखा था, लोगों के पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम किशन कुमार सारथी पिता छेदीलाल सारथी उम्र 20 वर्ष तथा दूसरे ने दुजेश्वर सारथी पिता हेमलाल सारथी 25 साल दोनों निवासी ग्राम सकर्री थाना मालखरौदा जिला जांजगीर चाम्पा का होना बताये । बालक के पिता के रिपोर्ट पर चौकी खरसिया में दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 379/19 धारा 363, 365, 34 आईपीसी पंजीबद्ध कर दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

दहेज प्रताड़ना, पति व सास-ससूर पर मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदिका आशा पति श्याम कुमार उम्र 20 साल साकिन गेजामुडा थाना कोतरारोड़ द्वारा अपने पति, सास, ससुर पर दहेज की मांग कर प्रताडित करने संबंधी शिकायत पत्र पर प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

आवेदिका ने बताया कि एक साल पहले ग्राम बुंदेली के श्याम कुमार के साथ इसकी शादी हुई है । विवाह के बाद एक माह तक सब ठीक था और उसके बाद इसके ससुराल वाले इसे ताना मारने लगे कि अपने मां बाप के घर से सोना चांदी कम लाई और मोटर साईकिल भी नहीं दिये । तब आवेदिका अपने माता पिता को बताई तो ससुरालवाले इसे और ज्याद तकलीफ देने लगे । जेठ-जेठानी, सास - ससुर, मामा ससूर और मौसी सास द्वारा मारपीट भी करते थे । आवेदिका के मायकेवाले गांव में मीटिंग बुलाये तो ससुरालवाले वहां नहीं आये । आवेदिका जब गर्भवती थी तो उसे घर से भगा दिये । आवेदिका अपने पहले बच्चे (लड़की) के जन्म की खबर मायके से भिजवायी तो उसे लड़की पैदा की है कहकर बुरा भला बोले और उसका पति एवं ससुरालवाले हमारी मांग पूरा करेगी तभी बात बनेगा कहकर नवजात बच्ची के छट्ठी कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुये और अबतक ससुराल वाले आवेदिका

और उसके बच्ची की खोज खबर नही ले रहे हैं । आवेदिका के शिकायत पर अनावेदकगण श्याम कुमार चौहान, लक्ष्मण चौहान, फूलबाई चौहान के विरूद्ध थाना कोतरारोड मेंअप.क्र. 261/19 धारा 498(ए),34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

युवती से छेड़खानी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। पीड़ित 21 वर्षीय युवती के द्वारा दर्ज रिपोर्ट अनुसार दिनांक 13/09/19 के शाम 05/30 बजे बाकारूमा से ईलाज कराकर अपने मंगेतर के साथ मोटर सायकल से वापस अपने घर लैलूंगा आ रही थी कि करीब 06/00 बजे शाम बगुडेगा तलाब हाईस्कूल के पास तीन लड़के इनके मोटर सायकल को ओव्हरटेक कर गाडी अडा कर रोक लिये और चाबी को निकालकर युवती से छेडखानी करने लगे, युवती के मंगेतर ने बीच बचाव किया तो उसके साथ मारपीट किये । तीन लडकों में दो की पहचान युवती ने बगुडेगा के अर्जुन राठिया एवं बुटन राठिया के रूप में की तीसरे युवक को नहीं पहचान पायी । पीड़िता के थाना लैलूंगा में छेड़खानी की रिपोर्ट पर अप.क्र. 195/19 धारा 354, 341,323,34 भादंवि अर्जुन राठिया एवं बुटन राठिया व अन्य 01 के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है, विवेचना पतासाजी दौरान नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसने अपने साथी के साथ घटना कारित करना स्वीकार किये ।

मामले में आरोपी (1) अर्जुन राठिया पिता सुबेर चंद्र राठिया उम्र 23 साल (2) बुटन राठिया उर्फ रणजीत पिता रामधन राठिया 25 साल (3) पिलाराम राठिया पिता लोकनाथ राठिया उम्र 23 साल तीनों निवासी बगुडेगा थाना लैलूंगा को गिरफ्तार किया गया है।

लायनेस क्लब दिव्य ऊर्जा, रायगढ़ द्वारा हिन्दी के महत्व हेतु जागरुकता कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को भारत के लोग एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं और ये त्यौहार पूरे सप्ताह तक चलता है जिसको सभी शैक्षणिक संस्थान व सरकारी क्षेत्रो मे धूमधाम से मनाया जाता है। लायनेस क्लब दिव्य ऊर्जा ने भी एक सप्ताह तक हिंदी के महत्व को बढाने हेतू योजना बनायी है. प्रथम दिन- शनिवार बच्चो को डिस्ट्रिक्ट सचिव लॉ अनीता कपूर द्वारा हिन्दी दिवस के महत्व की जानकारी दी, लायनेस अरुणा साहू द्वारा हिंदी कविता सुनाई गई . तत्पश्चात बच्चो मे मुहावरे लिखने के लिए प्रतियोगिता हुई

जिसमे लायनेस अंजू बंसल द्वारा तीन विजेताओ को पुरस्कृत किया गया।

सोमवार 16 सितंबर के लिए बच्चो को हिन्दी व्याकरण पर प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है जिसमे विजेताओ को पुरस्कृत लायनेस सुमिता पाडे द्वारा किया जायेगा।

17 सितंबर को बच्चो मे स्वच्छता अभियान पर ड्राईग प्रतियोगिता करवाई जा रही है। जिसमे विजेताओ को पुरस्कृत लायनेस मोना कंकरवाल द्वारा किया जायेगा.

18 व 19 सितम्बर सुलेख प्रतियोगिता व अक्ताक्षणि प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी जिसमे *विजेताओ को पुरस्कृत लायनेस मंजुला त्रिपाठी व लायनेस सुनिता अग्रवाल द्वारा किया जायेगा।

20 सितम्बर को कविता गोष्ठी लायनेस सदस्यो व अन्य कवयित्रीयो द्वारा किया जायेगा जिसमे विजेताओ को सम्मानित व कार्यक्रम का समापन लायनेस अनीता कपूर द्वारा किया जायेगा.

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं ज्वाईनिंग बोर्ड के सदस्यों कृ0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी शकुन्ले एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति से कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को अवगत से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूले किसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL
HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th
Topper Students Last Session
Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....
Join CAREER...
CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480